



राष्ट्र. प्र. एल. अणु. / एन. पी. 698

आवृत्त सं० ६७७० पी०-४।

आवृत्त सं० ६७७० ए० ६७७०६७७० पी०

# सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग--1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, बुधवार, 24 मार्च, 1999

वैश्व 3, 1921 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी अनुभाग-1

संख्या 768/सत्रह वि-1-1 (क) 6-1999

लखनऊ, 24 मार्च, 1999

अधिसूचना

विविध

“भारत का संविधान” के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 1999 पर दिनांक 24 मार्च, 1999 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 13 सन् 1999 के रूप में सर्वसाधारण को सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड (संशोधन) अधिनियम, 1999

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 13 सन् 1999)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड अधिनियम, 1982 का अप्रतिर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के पचासवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

1--(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड (संशोधन) अधिनियम, 1999 कहा जायगा।

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

(2) यह दिनांक 25 जनवरी, 1999 को प्रवृत्त हुआ समझा जायगा।

उत्तर प्रदेश अधि-  
नियम संख्या 5  
सन् 1982 में  
नई धारा 33-ड  
का बढ़ाया जाना

2--उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड अधिनियम, 1982 की, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 33-घ के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जायगी, अर्थात् :—

“33-ड—उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग (कठिनाइयों को दूर करना) आदेश, 1981, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग (कठिनाइयों को दूर करना) (द्वितीय) आदेश, 1981, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग (कठिनाइयों को दूर करना) (तृतीय) आदेश, 1982 और उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग (कठिनाइयों को दूर करना) (चतुर्थ) आदेश, 1982 एतद्वारा विरहित किये जाते हैं।”

निरसन और  
अपवाद

3— (1) उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड अध्यादेश, 1999 एतद्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निरदिष्ट अध्यादेशों द्वारा यथा-संशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायगी मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारवान समय पर प्रवृत्त थे।

आज्ञा से,  
योगेन्द्र राम त्रिपाठी,  
प्रमुख सचिव।

No. 768 (2)/XVII-V-1—1 (KA)-6-1999

Dated Lucknow, March 24, 1999

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Madhyamik Shiksha Seva Chayan Board (Sanshodhan) Adhiniyam, 1999 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 13 of 1999) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on March 24, 1999.

THE UTTAR PRADESH SECONDARY EDUCATION SERVICES  
SELECTION BOARD (AMENDMENT) ACT, 1999

(U.P. ACT No. 13 OF 1999)

[As passed by the Uttar Pradesh Legislature]

AN  
ACT

further to amend the Uttar Pradesh Secondary Education Services Selection Board Act, 1982.

IT IS HEREBY enacted in the Fiftieth Year of the Republic of India as follows :—

Short title and  
commencement

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Secondary Education Services Selection Board (Amendment) Act, 1999.

(2) It shall be deemed to have come into force on January 25, 1999.

Insertion of new  
section 33-E  
in U. P. Act  
no. 5 of 1982

2. After section 33-D of the Uttar Pradesh Secondary Education Services Selection Board Act, 1982, hereinafter referred to as the principal Act, the following section shall be inserted, namely :—

“33-E—The Uttar Pradesh Secondary Education Services Commission (Removal of Difficulties) Order, 1981, the Uttar Pradesh Secondary Education Services Commission (Removal of Difficulties) (Second) Order, 1981, the Uttar Pradesh Secondary Education Services Commission (Removal of Difficulties) (Third) Order, 1982 and the Uttar Pradesh Secondary Education Services Commission (Removal of Difficulties) (Fourth) Order, 1982 are hereby rescinded.”

U. P.  
Ordinance  
no. 5 of  
1999

3. (1) The Uttar Pradesh Secondary Education Services Selection Board (Amendment) Ordinance, 1999 is hereby repealed.

Repeal and  
saving

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the provisions of the principal Act as amended by the Ordinance referred to in sub-section (1) shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of the principal Act as amended by this Act as if the provisions of this Act were in force at all material times.

By order,  
Y. R. TRIPATHI,  
Pramukh Sachiv.